सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

#OPERATION MUSKAN
#OPERATION त्रिनेत्र

प्रेस नोट- दिनांक 26.06.2024

अपहरण की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 01 बालक को किया गया सकुशल बरामद।

अपहरण की घटना कारित करने वाली 02 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **एसओजी/सर्विलान्स** टीम एवं **थाना कोतवाली पुलिस टीम** द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.06.2024 को वादिनी रचना कुमारी पत्नी सुनील कुमार निवासी ब्रह्म नगर थाना कोतवाली जनपद इटावा द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 22.06.2024 को प्रार्थिनी के 02 वर्षीय बेटे युवराज को उसी मकान में किराये पर रह रही महिला ने अपहरण कर लिया है, **सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 182/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 26.06.2024 को गठित पुलिस टीमों द्वारा रामलीला ग्राउण्ड के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों को चैक किया जा रहा था इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि दिनांक 22.06.2024 को ब्रह्म नगर से नाबालिक बालक का अपहरण करने वाली महिलाएं बच्चे को लेकर भिण्ड की ओर जा रही हैं। सूचना पर तत्काल गठित पुलिस टीम द्वारा **कालीवाहन मन्दिर के पास से अपहृत बालक को सकुशल बरामद किया गया एवं 02 अभियुक्ताओं को समय करीब 09.10 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्ताओं से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि इस बालक का उन्होंने दिनांक 22.06.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत स्थित ब्रह्म नगर से अपहरण किया था जिसे बेचने हेतु वह आगरा, नोएडा एवं फतेहाबाद हरियाणा गये थे परन्तु बालक बिक नहीं पाया आज वह इसे बेचने के लिये भिण्ड जा रहे थे अगर वहाँ भी उचित ग्राहक नहीं मिलता तो वह इस बालक की हत्या कर देते और शव को कहीं छिपा देते

उक्त गिरफ्तारी एवं पूछताछ के आधार पर थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2024 धारा 363 भादवि में धारा तरमीम करते हुये धारा 364 भादवि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. **उर्मिला (काल्पनिक नाम) निवासिनी जबरपुरा थाना भरथना जनपद इटावा उम्र 40 वर्ष।**
2. **अंजना (काल्पनिक नाम) निवासिनी कुनैरा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा हाल पता अड्डा सती मानिकपुर मोड़ ग्वालियर रोड थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 35 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 182/2024 धारा 364 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः- उपरोक्त दोनों अभियुक्ताओं के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा जानकारी की जा रही है।

पुलिस टीम- **प्रथम टीमः-** उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स, का0 अंकित, का0 सुशील, का0 गौरव, का0 अनुज, का0 अरूण।

द्वितीय टीमः- निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, उ0नि0 राजकुमार सिंह थाना फ्रेण्डस कालोनी, उ0नि0 सौरभ सिंह, हे0का0 महेन्द्र सिंह, का0 निवेश सिंह, म0का0 ललिता यादव।

नोटः- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25,000/- रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया है।